न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जमुई

एस0सी0/एस0टी0 काण्ड संख्या : 75/2018

उपस्थित : **सत्यनारायण शिवहरे**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

बिहार राज्य द्वारा सूचक पवन कुमार दास

बनाम

कर्पूरी यादव उम्र लगभग..... वर्ष, पिता हंसु यादव

निवासी ग्राम– बघमा, थाना'– लक्ष्मीपुर, जिला–.जमुई

आरोप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(Va) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से–**श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री नरेन्द्र कुमार सिंहा विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–05.08.2026

निर्णय

1. कांड के सूचक पवन कुमार दास के द्वारा थानाध्यक्ष, लक्ष्मीपुर थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर थाने में प्राथमिकी संख्या 196/2017 के रूप में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(i)(r), 3(1)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अन्वेषण उपरान्त कर्पूरी यादव के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 43/2018 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(i)(r), 3(1)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया गया। इस मामले में इस न्यायालय ने अंकित उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के लिए मामले (Case) में संज्ञान लिया गया। परिणामस्वरूप इस मामले में उपरोक्त अभियुक्त का विचारण प्रारम्भ हुआ।

2. कांड की सूचक पवन कुमार दास के द्वारा थानाध्यक्ष, थाना लक्ष्मीपुर को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि वह दिनांक 10.9.2017 को 5.30 बजे शाम में जिनहरा से घर वापस आ रहा था। ज्योंहि बघ ामा दुर्गा मंदिर के पास पहूंचा, उसी समय कर्पूरी यादव उसे छेककर गाली गलौज करने लगा और कहने लगा कि ''साला, चमार तुम दुर्गा मंदिर में काम क्यों नही किया, तुम्हारा मन बढ़ गया है''। जब वह बोला कि समय मिलता तो काम करते, गाली मत दो। इसी बात पर कर्पूरी यादव उसे कॉलर पकड़कर पटक दिया और फैट–मुक्का से मार–पीट कर घसीटने लगा, जिससे उसका बायें ऑख और नाक के नीचे चोट लग गया और खून बहने लगा। वह बेहोश होकर गिर गया।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2023 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे इनहेनें इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 2 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 शांति देवी एवं अभियोजन साक्षी संख्या 2 पवन कुमार दास (काण्ड का सूचक) है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन **(Statement)** में अभियुक्तों ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 शांति देवी** ने अपने साक्ष्य की **मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief)** में कथन किया है कि घटना सात साल पूर्व समय 05.00 बजे शाम की है। तारीख नहीं मालूम है। उस समय वह घर पर गाछ (पेड़) के नीचे बीड़ी बना रही थी। दुर्गा स्थान और गाय का बथान एक जगह है। कर्पूरी यादव ने पवन को काम करने के लिए कहा, तो पवन दो दिन काम किया। उसके बाद पवन का तबीयत खराब हो गया। वह ईलाज कराने जिनहरा डॉक्टर के यहॉ चल गया और मोटर साईकिल से लौट कर आ रहा था। कर्पूरी ने मोटर साईकिल को रोकर कर बोला कि साले चमार तुम काम करने क्यों नहीं आया तो इस पर पवन ने गाली देने से मना किया और बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, गाली क्यों दे रहें है। इतने में

कर्पूरी यादव ने पवन को फैट से मारा जब तक वह बेहोश नहीं हुआ। उसके बाद छुरा की तरह रिंग पहने हुआ था और पवन को नाक पर मारा जिससे पवन के नाम का हड्डी टूट गया और नाक से खून बहने लगा। गॉव के लोगों को दिखाया तो गॉव बाले बोले कि बहुत मनबढू है। जब वह मारने के बारे में बोला तो कर्पूरी यादव ने बोला कि चमैनी तुमको कपड़ा खोलकर मारेंगे और दो हॉथ के लम्बा बॉस से मारने के लिए दौड़ा तो मैं ककनचौर के तरफ भाग गयी। अभियुक्त आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है, देखकर पहचान लेगी। **प्रति परीक्षण(Cross Examination) में** साक्षी ने कथन किया है कि वह पवन की मां है। वह जहॉ बीड़ी बना रही थी, वहॉ पर उसके घर के ही 05–06 बच्चा था और वह वहॉ अकेली थी। घटनास्थल, न्यायालय से रजिस्ट्री कचहरी की दूरी पर था। दुर्गा स्थान और कर्पूरी यादव का गाय का बथान दोनों एक ही जगह है। कर्पूरी ने दूर्गा मंदिर के काम के लिए कह रहा था। जो गछता है वहीं पैसा देता है उसी से मंदिर का काम होता है। दुर्गा स्थान में कोई, गिट्टी, छड़ इत्यादि देता है या कोई लोग श्रम योगदान करता है। मोटर साईकिल का नम्बर वह, नहीं बता सकती है। मोटर साईकिल पुतोहू के नाम से खरीदा है। पुतोहू को चलाने का चालक अनुज्ञप्ति है। वह न्यायालय में लाईसेंस दिखा सकती है। मोटर साईकिल काला, हारा, पीला रंग का है। वह गयी तो देखी कि मोटर साईकिल दूर्गा स्थान पर लगा हुआ है। वहॉ पर बहुत आदमी था, जिसमें कर्पूरी की मॉ और 05–06 यादव जाति के लोग और अन्य लोग बैठा था, अन्य लोगों का नाम नहीं जानती है। मोटर साईकिल से वह घर नहीं गई थी, डॉक्टर के पास गयी थी, उसी दिन शाम में 70.00 बजे घर आयी थी। उसके साथ उसका बेटा पवन भी घर आया था। जब वह घर पहुॅची तो उसकी गोतनी मालती देवी जौजे ब्रह्मदेव, ननद रूना देवी जौजे महेन्द्र दास एवं अन्य ग्रामीण लोग देखने के लिए आये थे। जो देखने के लिए आये थे उनका नाम नहीं बता सकती है। जो लोग देखने के लिए आये पवन ने घटना के बारे में बताया था। घर से दुर्गास्थान जाने में 02–03 मिनट का समय लगा था। पवन के नाक एवं मुंह से खून बह रहा था। ऑख पर कटा हुआ था, नाक का हड्डी टूट गया। पवन बेहोश में था। पवन को होश कर डॉक्टर के पास गयी थी। डॉक्टर के पास ननद, भौजाई गई थी। कर्पूरी के डर से गॉव के कोई लोग साथ में नहीं गया था। पवन ने डॉक्टर साहब के यहॉ घटना के बारे में पुरी तरह हमको बताया था। डॉक्टर साहब के यहॉ पवन से उसने पूछा कि क्यों तुमको कर्पूरी मारा, तो पवन ने बताया कि कर्पूरी ने बोला कि साला चमार काम करने क्यों नहीं आया, तो पवन बोला कि मेरा तबियत खराब था इसलिए काम करने नहीं गया था। इतने में कर्पूरी ने गली–गलौज करने लगा। **पवन जो उसको बताया, वही गवाही दी है।**पुलिस हमसे पूछताछ किया था। उसने पुलिस को कहा था कि गाछ के नीचे बीड़ी बना रही थी। उसनें पुलिस को यह भी कही थी कि पवन का तबियत खराब हो गया, वह ईलाज कराने जिनहरा डॉक्टर के यहॉ चल गया और मोटर साईकिल से

लौट कर आ रहा था। मोटर साईकिल को रोका। मुदालय से उसको कोई दुःश्मनी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि पवन के मां होने के कारण वह झूठी गवाही दे रही है तथा जिस तरह का बयान दिया हूँ, वैसी घटना नहीं घटी थी।

7. अभियोजन साक्षी संख्या 2 पवन कुमार दास, जो इस काण्ड का सूचक है, ने अपने साक्ष्य की **मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief)** में कथन किया है कि घटना दिनांक 10.09.2017 की शाम 5.30 बजे की है। उसम समय वह जिनहरा से घर आ रहा था। एकाएक दुर्गा मंदिर के पास कर्पुरी यादव मेरे साथ गाली गलौज एवं मारपीट करने लगे। इस आशय का लिखित आवेदन मैंने थाना पर दिया। यह वही लिखित आवेदन है, जिसपर उसका हस्ताक्षर है, जिसे **प्रदर्श P-1/P-w.-2** के रूप में ग्राहय किया जाता है। आज न्यायालय में कर्पूरी यादव उपस्थित है, जिसे पहचानता है। **प्रति परीक्षण(Cross Examination) में** साक्षी ने कथन किया है कि **उसने यह मुकदमा किया था। उसने स्वेच्छा–सुलह कर लिया है। लोगों के बहकावे में आकर यह मुकदमा किया था। मामले में सुलह हो जाने के कारण कोई साक्ष्य नही देना है।**

8. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

9. मैंने उभयपक्षों की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले में कुल 2 साक्षियों का साक्ष्य हुआ है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 शांति देवी, जो इस काण्ड के सूचक की मां है ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **पवन, जो उसको बताया, वही गवाही में बोली है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 इस मामले का चक्षु साक्षी (Eye witness) नही हैं।** अभियोजन साक्षी संख्या 2 पवन कुमार दास, जो इस काण्ड का सूचक एवं कथित पीड़ित है, ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **उसने यह मुकदमा किया था। उसने स्वेच्छा–सुलह कर लिया है। लोगों के बहकावे में आकर यह मुकदमा किया था। मामले में सुलह हो जाने के कारण कोई साक्ष्य नही देना है।** फलतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 504 एवं अनुसूचित

जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त कर्पूरी यादव के विरूद्ध लगे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(va) के अंतर्गत के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उसे एवं उसके जमानतदारों को बंध पत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं
शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
जिला एवं अपर सत्र
न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक– 05.08.2026

सत्यनारायण शिवहरे
जिला एवं अपर सत्र
न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–05.08.2026